

राजस्थान सरकार  
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(4) आप्रसआ/सामान्य/2017/6198-242 दिनांक 17.4.2018 के द्वारा राज्य के बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, झुन्झुनूं, जोधपुर, नागौर, सवाई माधोपुर के 1057 ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है।

अतः निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयनुसार अभावग्रस्त घोषित ग्रामों में आबियाना शुल्क की वसूली स्थगन कर इस संबंध में जारी निर्देशों की प्रति इस विभाग को भी प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न:-अधिसूचना की प्रति

भवदीय,  
17/4/18  
(हेमन्त कुमार गेरा)  
शासन सचिव

प्रमुख शासन सचिव,  
जल संसाधन विभाग,  
राज0 जयपुर।

एफ 1(4)आ0प्र0एवंसहा/सामान्य/2017/6243  
जयपुर, दिनांक 17.4.2018